150

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 796—एक/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—01—2014 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला—भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 26/2013—14/निगरानी

.....

रामकुंअर बेबा पत्नी रामगोपाल

निवासी— ग्राम पाली परगना व जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1— कमलेश सिंह पुत्र छोटेलाल

2— हरदयाल सिंह

3— चौधरी सिंह

4— पुरूषोत्तम सिंह

5— मानसिंह

6— रामकिशन सिंह, पुत्रगण केदार सिंह

7— रामकिशोर

8— आनन्द, पुत्रगण रामप्रकाश

9— कैलाश पुत्र रामनारायण

निवासीगण— ग्राम पाली परगना

व जिला—भिण्ड (म0प्र0) ..... मूल अनावेदकगण

10— सोबरन सिंह

11— ऑफीसर सिंह

12— अशोक सिंह

13— बादशाह सिंह, पुत्रगण धर्मसिंह

14— मु. जलदेवी बेवा राजाराम

निवासीगण—ग्राम पाली परगना व जिल— भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 9

.....

आदेश
(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला–भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/2013–14/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–01–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदक व अनावेदकगण ग्राम पाली सर्किल पीपरी , जिला–भिण्ड के निवासी है तथा आवेदिका व अनावेदकगण के तथा अन्य सह खातेदार प्रदीप कुमार पुत्र राधेश्याम व भैयाला पुत्र छोटेलाल के संयुक्त खाते की मौजा पाली में आराजी स्थित है । राजस्व कागजात में भी आवेदिका व अनावेदकगण व अन्य प्रदीप व भैयालाल व लोगश्री का नाम राजस्व कागजात में इन्द्राज है । मूल अनावेदकगण 1 लगायत 9 ने नायब तहसीलदार वृत्त पीपरी के न्यायालय में आवेदिका एवं अन्य तरतीवी अनावेदकगण को साजिशन के रूप में पक्षकार बनाते हुये संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया । जिससे संबंधित आवेदन की सूचना प्राप्त होने पर आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय में आवेदिका द्वारा आपत्ति दिनांक 15.02.13 को प्रस्तुत की गई थी, जिसका जवाब अनावेदकगण द्वारा उसी दिनांक अर्थात् 15.02.13 को प्रस्तुत कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.13 को ही आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुये अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 26/2013–14/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–01–2014 द्वारा निगरानी अग्राह्य किया गया । न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ

न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड को निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापिस करना था जो उन्होंने नहीं किया। आवेदक व अनावेदकगण के अन्य सहखातेदार प्रदीप कुमार पुत्र राधेश्याम व भैयालाल पुत्र छोटेलाल की मौजा पाली आराजी स्थित है। राजस्व कागजात में आवेदक तथा अनावेदकगण व अन्य प्रदीप, भैयालाल व लौंगश्री का नाम राजस्व कागजात में इन्द्राज है। मूल अनावेदकगण 1 लगायत 9 ने अधीनस्थ न्याालंय नायब तहसीलदार के यहां आवेदिका एवं अन्य तरतीवी अनावेदकगण को पक्षकार बनाते हुये धारा 178 का आवेदन गलत व बनावटी आधारों पर प्रस्तुत किया । जिससे संबंधित आवेदन की सूचना प्राप्त होने पर आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत की गई । आपत्ति आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया कि आराजी क्रमांक 611, 616, 684, 685 मुख्य रोड के किनारे स्थित होकर काफी कीमती भूमि है । अनावेदक क्र 1 लगायत 9 ने बेईमानी से उपरोक्त नम्बरान पर स्वयं का कब्जा बताते हुये बनावटी तथ्यों के आधार पर घरू बटवारा बताते हुये आवेदन पत्र गलत व तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था । प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्याालय में जबाव आपत्ति का अवलोकन से उभयपक्ष के मध्य दाविया भूमि के स्वत्व का विवाद होना स्पष्ट है । आपत्ति आवेदन पत्र पर विधिवत निराकरण किये बिना न्यायालयीन प्रक्रिया एवं बंटवारे के नियमों के विरूद्ध दिनांक 15.02.13 का आदेश पारित किया गया साथ ही स्थल निरीक्षण फर्द बंटवारा प्रस्तुत करने का आदेश किया गया, जो विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र0 1 लगायत 9 के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया के अंतर्गत फर्द बटवारा आहूत किये जाने का आदेश संदाय किया गया है । जिससे आवेदिका के कोई हित प्रभावित नहीं होते है, केवल प्रकरण शीघ्र न हो के उद्देश्य से यह निगरानी संचालित कराई गई है, जो प्रचलन योग्य नहीं है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदिका अपना पक्ष समर्थन रखने मे लिये स्वतंत्र है और अभी समय भ पर्याप्त है। इसी क्रम में आदेश 1 नियम 10 जी.दी. पर ही यह तर्क प्रस्तुत किया है कि बटवारा की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत की जानी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी अस्वीकार किया जावे ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि

वाद प्रश्न संयुक्त खाते की भूमि के बटवारे से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे आवेदिका के स्वत्व प्रभावित होना परिलक्षित नहीं होता है । आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण भी होना लम्बित है, जिसका निराकरण अधीनस्थ न्याालय को समस्त हितबद्ध पक्षकारों के उपस्थित होने के उपरांत सुनवाई पश्चात किया जाना है । इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रतीत नहीं होती है । जहॉ तक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पर विचार किये जाने का प्रश्न है । इस संबंध में यहॉ यह स्पष्ट किया जाना न्यायसंगत है कि जब प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने की दशा में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वयं ही अस्तित्वहीन हो जाता है । आवेदनकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचा हूॅ कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । फलतः निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर